जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/वननि/2002/डी-49

दिनांक 21.1.2003

विषय- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की 45वीं बैठक

दिनांक 26-12-2002 को प्रात: 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

ए. सं.	विषय	खातेदार/ गृ.नि. स.स. का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	सैक्टर नं.	निर्णय
1.	हथरोई गढी गृ.नि.स.समिति की योजना अशोक नगर हरनाथपुरा के योजना मानाचित्र अनुमोदन बाबत।	हथरोई गढी	अशोक नगर	हरनाथपुरा			समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।
2.	बस्सी सीताराम गृ.नि.स.समिति की योजना शताब्दी नगर श्योपुर सांगानेर के संबंध में।	बस्सी सीताराम	शताब्दी नगर				समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि हाईवे कन्ट्रोल बेल्ट क्षेत्र में आने वाले भाग को कन्ट्रोल बेल्ट हेतु सुरक्षित रखते हुये शेष योजना क्षेत्र को अनुमोदित किया जावे। इसके अतिरिक्त मास्टर विकास योजना 2011 में भू-उपयोग होल शेल बिजनिस वेयर हाउसिंग गोदाम को आवासीय में परिवर्तित करने की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।
3.	विकास भवन गृ.नि.स.समिति की योजना पार्वती नगर के अनुमोदन के संबंध में।	विकास भवन	पार्वती नगर				समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट एवं उपायुक्त जोन द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया कि सहकारी समिति से योजना का संशोधित मानचित्र आवासीय 60 प्रतिशत रखते हुये तथा सुविधा क्षेत्र का नियमानुसार प्रावधान करते हुये संशोधित मानचित्र लिया जावे। इसके अतिरिक्त योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 165ए, 166ए, 172ए, 172बी, 173ए, 173बी, 216 से 221, 231 से 239 कुल 21 पूर्ण रूप से एवं भूखण्ड संख्या 32, 33 व 215 आंशिक रूप से खरीद किये हुये खसरों से बाहर स्थित होने के कारण समिति के विरूद्ध एफ.आई.आर. उपायुक्त जोन द्वारा दर्ज करवाई जावे।
4.	बन्धू नगर गृ.नि.स.समिति की योजना बन्धू नगर स्कीम नम्बर 3 के भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने बाबत।	बन्धू नगर गृ.नि. स.समिति	बन्धू नगर स्कीम नम्बर 3				समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट एवं उपायुक्त जोन द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि योजना का अनुमोदन वर्ष 1985 में किया गया था अत: उपायुक्त जोन द्वारा तत्समय प्रस्तुत मानचित्रों का परीक्षण किया जाकर प्रस्ताव तैयार किया जावे तथा सुविधा क्षेत्र से

ए. सं.	विषय	खातेदार/ गृ.नि. स.स. का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	सैक्टर नं.	निर्णय
							मुक्त किये जाने वाले भूखण्ड को मुक्त किये जाने पर योजना का आवासीय क्षेत्रफल के प्रतिशत की पूर्ण गणना की जाकर प्रकरण समिति के समक्ष रखा जावे।
5.	विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना रविन्द्र नगर के अनुमोदन के संबंध में	विकास भ.गृ.नि. स.स.	रविन्द्र नगर	टीलावाला	5,6,7/661,2, 3, 10,11,16	9,72,75/76 0,7,4,74,75 ,77,76,79	प्रश्नगत प्रकरण में वाद विचार- विमर्श पश्चात् विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना रविन्द्र नगर में समिति द्वारा यह निर्णय लिया कि मास्टर विकास योजना 2011 की प्रस्तावित 200 फीट सडक एवं प्रस्तावित 60फीट सेक्टर सडक को स्वीकृत करते हुए सरकारी समिति से संशोधित योजना मानचित्र लिए जावें।
6.	विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना रविन्द्र नगर(ए) के अनुमोदन के संबंध में।	विकास भ.गृ.नि. स.स.	रविन्द्र नगर(ए)	टीलावाला	37,38,40 से 45,61,95	97,99,100	प्रश्नगत प्रकरण में वाद विचार- विमर्श पश्चात् विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना रविन्द्र नगर (ए) में समिति द्वारा मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र, जयपुर की प्रस्तावित 200 फीट सडक एवं प्रस्तावित 60फीट सैक्टर सडक को स्वीकृत करते हुए सहकारी समिति से संशोधित योजना मानचित्र लेने का निर्णय लिया गया।
7.	विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना रविन्द्र नगर(बी) के अनुमोदन के संबंध में।	विकास भ.गृ.नि. स.स.	रविन्द्र नगर (बी)	टीलावाला	182,183,184		प्रश्नगत प्रकरण में वाद विचार- विमर्श पश्चात् विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना रविन्द्र नगर (बी) में समिति द्वारा मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र, जयपुर की प्रस्तावित 200फीट सडक को स्वीकृत करते हुए सहकारी समिति से संशोधित योजना मानचित्र लेने का निर्णय लिया गया।
8.	मित्र गृ.नि.स.स. की योजना लालबहादुर नगर के अनुमोदन के संबंध में।	मित्र गृ.नि.स.स.	लालबहादुर नगर	रामजीपुरा	2/229, 2/230	जोन बी-1	प्रश्नगत प्रकरण में वाद विचार- विमर्श मित्र गृ.नि.स.स. की योजना लाल बहादुर नगर हेतु निर्णण हुआ कि उपायुक्त जोन पूर्ण तथ्यों सहित पत्रावली विधि प्रकोष्ठ में भिजवाकर राय प्राप्त करें। विधि प्रकोष्ठ से प्राप्त राय सहित प्रकरण की पत्रावली सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।
9	गोतम बुद्ध गृ.नि.स.स. की योजना आशा विहार के अनुमोदन के संबंध में।	गोतम बुद्ध गृ. नि.स.स.	आशा विहार	बदरवास	139/1	जोन बी-5	प्रश्नगत प्रकरण में विचार-विमर्श पश्चात् गोतम बुद्ध गृ.नि.स.स. की योजना आशा विहार में निर्णय हुआ कि समिति ने रानी सती नगर के सुविधा क्षेत्र में भूखण्ड काटे है। अत: सहकारी समिति के विरूद्ध एफ. आई.आर. दर्ज करवायी जाए।
10	श्रीमति परमजीत कोर की ग्रांम बोयतावाला	निजी खातेदार		बोयतावाला	96		प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय हुआ कि आवेदित भूमि का स्थल निरीक्षण

ए. सं.	विषय	खातेदार/ गृ.नि. स.स. का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	सैक्टर नं.	निर्णय
	तहसील जयपुर के ख.नं.96 रकबा 113 बीघा भूमि मे से 25 बीघा 18 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण हरित पट्टी एवं पार्क से आवासीय (मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र, जयपुर एवं सेक्टर प्लान की प्रस्तावित सडको की भूमि छोडते हुए) किये जाने हेतु।	श्रीमति परमजीत					समिति के सदस्यों को करवाया जावें।
11	राजस्व ग्राम श्रीगोविन्द पुरा एवं रामनगरिया की भूमि पर स्थित निजी खातेदारों की योजना शिव आफिसर्स कालोनी ब्लाक डी का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र, जयपुर में दर्शित ग्रामीण क्षेत्र तथा खुला स्थान एवं पार्क से आवासीय किये जाने हेतु।	निजी खातेदार		श्री गोविन्दपुरा रामनगरिया	245,246, 247,248,249, 250,252,253, 254, 255 किता 10 रकबा 1.75 है 2,3,4, 5,6 व 7 किता 6 रकबा 5.09 है		प्रश्नगत प्रकरण में विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय हुआ कि निजी खातेदारों की योजना शिव आफिसर्स कालोनी ब्लाक डी की भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र तथा खुला स्थान एवं पार्क से आवासीय किये जाए व जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट की धारा 25(1) के तहत अधिसूचना जारी किया जाये।
12	भू.सं. 33 सीताबाडी गृ.नि.स.स. को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने के संबंध में।	सीताबाडी गृ. नि.स.स.					प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात इस भूखण्ड की फोटोग्राफी करवाने का निर्णय लिया गया।
13	अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. की पूजा विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में। (जोन डी-1)	अम्बेश्वर	पूजा विहार				योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष उपायुक्त जोन डी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि:- 1. भूखण्ड संख्या 1 व 2 के पास काश्तकार का भूखण्ड योजना का भाग नहीं है अत: इसका नियमन नहीं किया जावें। 2. योजना में 40 फीट सडक को मुख्य मार्ग पर Right Angle में Smooth Curve दिया जावें तदनुसार भूखण्ड संख्या 1 व 2 में से समुचित क्षेत्र काटा जावें।

ए. सं.	विषय	खातेदार/ गृ.नि. स.स. का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	सैक्टर नं.	निर्णय
							3. योजना का भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावें।
14	भैरव गृ.नि.स.स. की योजना हरिहर नगर नींदड, तह. आमेर के अनुमोदन के संबंध में। (जोन डी-2)	भैरव	हरिहर नगर				योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष उपायुक्त जोन डी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि :- 1. योजना के सामने स्थित नींदड को जाने वाली सडक की चौडाई 80'-0'' रखी जावें। 2. विवादित भूमि को योजना का भाग नहीं माना जावें। 3. एच.टी. लाईन के नीचे दिखायी गयी सडक को 40' के स्थान पर 50' की जावें। 4. भूखण्ड संख्या 7 व 8 को न्यूनतम बिल्टअप एरिया उपलब्ध नहीं होने के कारण नियमन नहीं किया जावें। 5. नींदड जाने वाली सडक मध्य रेखा से 40 फीट रखते हुए शेष भाग में जो दुकाने प्रस्तावित है को सुविधा क्षेत्र में रखा जावें। 6. योजना का भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण से आवासीय किया जावें।
15	महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की सरस्वती विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में (जोन डी-1)	महावीर स्वामी	सरस्वती विहार				योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष उपायुक्त जोन डी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि :- 1. महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. द्वारा योजना में स्वामित्व के बाहर स्थित भूमि पर भूखण्ड काटने को समिति द्वारा गम्भीर माना गया एवं निर्णय लिया गया कि महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. के खिलाफ जोन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करायी जावें। 2. योजना में मुख्य मार्गो के सहारे प्रस्तावित दुकानें अनुमोदन योग्य नहीं है एवं सुवधिा क्षेत्र नहीं दर्शाया गया है इसके अतिरिक्त हाई टेंशन लाईन के प्रतिबन्धित क्षेत्र से भूखण्ड प्रभावित है। इन बिन्दुओं के मध्येनजर में समिति से संशोधित योजना मानचित्र लिया जावें।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दो अतिरिक्त एजेण्डा उपायुक्त जोन सी-1 द्वारा प्रस्तुत:							

ए. सं.	विषय	खातेदार/ गृ.नि. स.स. का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	सैक्टर नं.	निर्णय
16	कृषि भूमि खसरा नम्बर 33 से 36, 40 से 43 कुल रकबा 42555.38 व.ग. (35581.72 वर्ग मीटर)गांव सुखपुरीया तहसील सांगानेर, का संस्थानिक (शैक्षणिक) नियमन हेतु भू-उपयोग उपान्तरण बाबत।	सचिव नेशनल सोसायटी फॉर इंजीनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेंट।		सुखपुरीया			प्रकरण समिति समक्ष उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में ज.वि.प्रा. अधिनिम की धारा 25(3) के तहत जारी अधिसूचना के प्रति कोई आपत्ति सुझाव प्राप्त नहीं हुए है अत: मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र में इस भूमि का भू-उपयोग ''होलसेल बिजनेस, वेयर हाउसिंग व गोदाम'' से संस्थानिक-शैक्षणिक(इंजीनियरिंग कालेज, प्रशासनिक भवन व होस्टल इत्यादि हेतु) उपान्तरण के लिए फाइनल अधिसूचना व0न0नि0(प्रोजेक्ट) के स्तर से जारी करवाई जावे। प्रकरण में यह भी निर्णय लिया गया कि भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक है अत: राज्य सरकार से नियमन/भूमि रूपान्तरण के अनुमोदन के पश्चात लीज डीड जारी कर दी जावे।
17	भूखण्ड संख्या 164-165 सुरजीतनगर कालवाड रोड पर कृषि भूमि का पैट्रोल पम्प हेतु नियमन/भूमि रूपान्तरण बाबत।		सुरजीत नगर				प्रकरण समिति के समक्ष उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि जविप्रा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के क्षेत्र 31 x 26.67= 826.77 व0मी0(988.80 वग0) का पैट्रोल पम्प हेतु नियमन/भूमि रूपान्तरण कर दिया जावे। आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि भूमि में से गुजर रही उच्च दाब विद्युत प्रवाह लाइन, जिसे हटवाने के लिए आवेदक ने विद्युत वितरण संस्था जयपुर डिस्काम में दिनांक 21-11-2002 को राशि जमा करवाई है, के मौके से हटने के बाद ही पैट्रोल पम्प चालू किया जावेगा।

परिशिष्ठ '1'

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की 45वीं बैठक दिनांक 26-12-2002 को प्रात: 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई। उपस्थित निम्न प्रकार थी:-

क्र. स.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1.	डा. दिनेश कुमार गोयल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री तकउद्दीन अहमद	विधायक	राजस्थान विधान सभा	सदस्य
3.	माननीय श्री राजेन्द्र महावर	सदस्य	जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
4.	श्री हेमन्त गेरा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री एस.सी.महागावंकर	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
6.	श्रीमती शुचि शर्मा	अति.आयुक्त पूर्व	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री नीरज तिवारी	उप नगर नियोजक (बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य सचिव
बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित हुये				
1.	श्री राम बाबू गुप्ता	निदेशक(अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
2.	श्री पी.अरविन्द	वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
3.	श्रीमती लवंग शर्मा	वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
4.	श्री मुकेश मित्तल	उप नगर नियोजक(एम.पी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
5.	श्री असलम सेर खां	उपायुक्त जोन बी-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
6.	श्री एन.के. खींचा	उपायुक्त जोन बी-3	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
7.	श्री रमेश चन्द शर्मा	उपायुक्त जोन बी-4	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
8.	श्रीमती सुषमा अरोडा	उपायुक्त जोन सी-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
9.	श्री भीमा राम चौधरी	उपायुक्त जोन सी-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
10.	श्रीमती दुर्गा जोशी,	उपायुक्त जोन डी-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
11.	उप नगर नियोजक	जोन बी-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
12.	उप नगर नियोजक	जोन बी'2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
13.	सहायक नगर नियोजक	जोन सी-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
14.	सहायक नगर नियोजक	जोन सी-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	

सदस्य सचिव,बीपीसी
(ले-आउट प्लान)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/वननि/2002/डी- 49

दिनांक 21.1.2003

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव	अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।
2.	विधायक	माननीय श्री तकीउद्दीन अहमद, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3.	विधायक	माननीय श्री अशोक तंवर, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4.	सदस्य	माननीय श्री राजेन्द्र महावर, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5.	वरिष्ठ निजी सचिव	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6.	निजी सचिव	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7.	निदेशक(आयोजना)	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8.	अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)पूर्व/पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9.	उपायुक्त जोन ------	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10.	उप नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
11.	उप नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12	सहायक नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
13.	सहायक नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	जनसम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सदस्य सचिव,बीपीसी
(ले-आउट प्लान)